145

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

R-4087 I-16

1. तजमुल हुसैन पिता सब्दल हुसैन
निवांसी पन्ना, जिला पन्ना
......आवेदक

//विरूद्ध//

म.प्र.शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अुनसार

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती दृप्ति श्रीवास्तव (एड.)
हलवाई हिल्स, सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582-244808

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय न्यायालय कलेक्टर पन्ना जिला पन्ना म.प्र. के प्रकरण क्रमांक 83/स्वमेव निगरानी/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 23.11.16 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि प्रकरण का विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदक को विचारण न्यायालय तहसीलदार पन्ना द्वारा भूमि ख.नं0 233 रकवा 0.809 हे0 आदेश दि. 30.10.1993 के तहत पट्टा जारी किया गया था जिसके तहत आवेदक काबिज चला आ रहा है। आवेदक विधिवत रूप से दखल रहित अधिनियम के तहत पात्रता रखता है जिसमें आवेदक का लंबे समय से मकान बनाकर रहवास है किंतु अन्य प्रकरण आवेदक द्वारा तहसीलदार पन्ना के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में कार्यवाही प्रस्तुत किए जाने की द्वेष भावना से अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान कलेक्टर पन्ना के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने पर प्रकरण स्वमेव निगरानी के तहत बिना किसी सूक्ष्म सुनवाई के लिया जाकर आदेश दिनांक 23.11.16 पारित किया गया है जिसके विरूद्ध यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि न्यायालय कलेक्टर पन्ना के द्वारा स्वमेव निगरानी के तहत पूर्व के प्रकरण जो इसी खसरा नंबर के समकक्ष खसरा नंबर 233/2 के विवाद का निराकरण माननीय राजस्व मंडल द्वारा किया जाकर आवेदक का कब्जा एवं पात्रता का निधारण किए जाने उपरांत भी राजस्व रिकार्ड सुधार न किए जाने से कई वर्षो तर्क प्रकरण विचाराधीन रहा है तत्पश्चात राजस्व रिकार्ड में आवेदक का नाम विधिवत दर्ज न किए जाने से आदेश की

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4087—एक/2016 जिला पन्ना

तजमुल हुसैन विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08—03—2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला पन्ना के प्रकरण क्रमांक 83/स्वमेव निगरानी/2006—07 में पारित आदेश दिनांक 23—11—2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06—05—2019 को आयुक्त सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 08/3/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	